भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1603

उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2026

सोमवार, 20 माघ, 1947 (शक)

तेलंगाना में कौशल भारत मिशन के तहत आवंटित निधि

1603. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तेलंगाना राज्य के लिए कौशल भारत मिशन और पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम के तहत आवंटित, जारी और उपयोग किए गए कुल बजट का परिव्यय कितना है;

(ख) तेलंगाना में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और जन शिक्षण संस्थान जैसे घटकों के तहत प्रशिक्षित, प्रमाणित और कौशल-युक्त युवाओं की संख्या के संबंध में वर्ष-वार निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रशिक्षण पूरा होने के बाद पारिश्रमिक रोजगार, स्वरोजगार या शिक्षुता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है और इनके रोजगार का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या सरकार ने तेलंगाना में इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और परिणाम-उन्मुखता का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त राज्य में निधि के उपयोग, उद्योग जुड़ाव और रोजगार परिणामों में सुधार के लिए प्रस्तावित भावी लक्ष्यों और सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल एवं कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

तेलंगाना राज्य में पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण निम्नलिखित है:

योजनाएँ	**प्रशिक्षित अभ्यर्थी**			
	2022-23	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (31.12.2025 तक)**
पीएमकेवीवाई	8,040	15,390	22,188	4,650
जेएसएस	15,639	10,300	10,787	7,275
एनएपीएस	31,821	37,775	34,018	34,885
सीटीएस	26,480	29,579	33,583	40,452

पीएमकेवीवाई के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी की जाती है। जेएसएस योजना के तहत, धनराशि सीधे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को जारी की जाती है। एनएपीएस के तहत, प्रशिक्षुओं को प्रति माह 1500 रुपये तक की छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से जारी की जाती है, न कि संबंधित संस्थानों को। आईटीआई के माध्यम से कार्यान्वित सीटीएस योजना के संबंध में दैनिक प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास होता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तेलंगाना राज्य में पीएमकेवीवाई, एनएपीएस और जेएसएस के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई कुल धनराशि नीचे दी गई है:

आंकड़े (करोड़ रुपये में)

योजनाएँ	**जारी की गई धनराशि (करोड़ में)**			
	2022-23	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (31.12.2025 तक)**
पीएमकेवीवाई	6.24	24.44	11.07	2.26
जेएसएस	3.20	3.24	2.89	2.34
एनएपीएस	10.35	20.58	15.84	7.06

एमएसडीई की योजनाओं में से, पीएमकेवीवाई के पहले तीन चरणों (पीएमवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0) के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रखा गया, जो वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू किए गए थे। इन तीनों चरणों के तहत देशभर में 24,37,887 उम्मीदवारों को नियोजन किया गया है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित दिया गया है और उन्हें इसके लिए उपयुक्त मार्गदर्शन

प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसे विभिन्न आईटी उपकरण भी यह अवसर प्रदान करते हैं। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का ब्यौरा सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है ताकि उन्हें संभावित नियोक्ताओं से जोड़ा जा सके। सिद्ध के माध्यम से, उम्मीदवार रोजगार और शिक्षुता के अवसरों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा, प्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेले और पीएम राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) आयोजित किए गए हैं। जेएसएस के तहत, आजीविका प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है ताकि उम्मीदवारों को उद्यमिता और आजीविका संवर्धन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।

(घ): कौशल विकास योजनाओं के प्रभाव का आकलन तृतीय-पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। पीएमकेवीवाई 4.0 का एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन द्वारा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण ने एसटीटी उम्मीदवारों के रोजगार परिणामों में उल्लेखनीय सुधार लाने में योगदान दिया है। रोजगार प्राप्त और स्व-रोजगार प्राप्त एसटीटी उत्तरदाताओं का संयुक्त हिस्सा प्रशिक्षण से पहले 26.6% से बढ़कर पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण के बाद 45.4% हो गया, जो 18.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाता है। आय संबंधी परिणाम भी सकारात्मक हैं, जिसमें 41.4% एसटीटी उम्मीदवारों और 48.9% आरपीएल उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण और प्रमाणन के बाद आय में वृद्धि दर्ज की है। कुल मिलाकर, पीएमकेवीवाई 4.0 ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन तक पहुंच को काफी हद तक बढ़ाया है और लाभार्थियों के एक बड़े हिस्से के लिए कौशल आत्मविश्वास, रोजगार भागीदारी और आय परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किया है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस): अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन द्वारा वर्ष 2025 में जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया गया, ताकि योजना की पहुंच, प्रभावशीलता और आजीविका परिणामों का आकलन किया जा सके। मूल्यांकन में योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को उजागर किया गया, जिसमें 33.94 लाख व्यक्ति नामांकित हुए, जिनमें से 32 लाख को प्रशिक्षण दिया गया और 31.52 लाख को प्रमाण पत्र प्राप्त हुए, जो 99 प्रतिशत की समग्र सफलता दर को दर्शाता है। कुल प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 82 प्रतिशत थी, जबकि 73 प्रतिशत लाभार्थी हाशिए पर स्थित वर्गों से थे, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (36 प्रतिशत) और अन्य पिछड़ा वर्ग (37 प्रतिशत) शामिल हैं। आजीविका पर प्रभाव उल्लेखनीय रहा है, जिसमें 90 प्रतिशत पूर्व छात्र अर्जित कौशल का उपयोग आय सृजन के लिए कर रहे हैं, 82 प्रतिशत प्रशिक्षण के छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से सक्रिय हो गए हैं, और 60 प्रतिशत पूर्व में गैर-कमाई करने वाले व्यक्ति प्रशिक्षण के बाद कमाई शुरू कर चुके हैं। लाभार्थियों की औसत मासिक आय में चार गुना वृद्धि दर्ज की गई, जो ₹1,776 से बढ़कर ₹8,440 हो गई।

एनएपीएस: अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (पीएमएनएपीएस-2) का वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक (30 नवंबर 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर) एक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, मूल्यांकन अवधि के दौरान पीएमएनएपीएस 2 ने उल्लेखनीय विस्तार हासिल किया, जिसमें 46 लाख के संचयी लक्ष्य के मुकाबले 34.69 लाख प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया, जो लगभग 75 प्रतिशत की समग्र उपलब्धि को दर्शाता है। डीबीटी के संस्थागतकरण से वित्तीय पारदर्शिता और पूर्वानुमान में सुधार हुआ है। संचयी डीबीटी वितरण ₹1,094 करोड़ से अधिक रहा, जिसमें वार्षिक वितरण वित्त वर्ष 2023-24 में ₹327.2 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹500.16 करोड़ हो गया।

आईटीआई: एमएसडीई द्वारा 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों की ट्रेजर स्टडी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई पास-आउट में से 63.5% को रोजगार मिला (जिनमें से 6.7% स्वरोजगार में हैं)।

(ङ): एमएसडीई की योजनाओं के तहत बजट का अधिकतम उपयोग और बेहतर लक्ष्य निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए गए कौशल उद्योग की आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के अनुरूप हों, और इस प्रकार कुशल उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता में सुधार हो, निम्नलिखित विशिष्ट कदम/पहल की गई हैं:

(i) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक निकाय के रूप में की गई है जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियम और मानक स्थापित करती है।

(ii) एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त पुरस्कार प्रदान करने वाले निकायों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ मैप करें और उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

(iii) एनसीवीईटी ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार 9026 योग्यताओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 2599 योग्यताएं वैध और सक्रिय हैं, और 6427 योग्यताएं संग्रहीत हैं।

(iv) संबंधित क्षेत्रों के उद्योग जगत के नेताओं के नेतृत्व में 36 क्षेत्रीय कौशल परिषदें (एसएससी) स्थापित की गई हैं, जो संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल दक्षता मानकों को निर्धारित करती हैं।

(v) एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई के छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(vi) पीएमकेवीवाई के तहत, नई पीढ़ी/भविष्य के कौशल से संबंधित नौकरी की भूमिकाओं को विशेष रूप से उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है, खासकर एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में, आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए।

(vii) डीजीटी ने सीटीएस के तहत नए युग/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं ताकि 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

(viii) राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग से जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए डीजीटी ने आईबीएम, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूएस आदि जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक हैं।

(ix) अहमदाबाद और मुंबई में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण से लैस उद्योग के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल का एक समूह बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(x) प्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार और शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) आयोजित किए जाते हैं।

*****